

22 ⁷/₂₄ वकील पार्थी व पार्थी के अनुपस्थित रहने
के कारण पार्थना - पत्र से संबंधित मूल दावा
खारिज हो चुका है। जिससे यह पार्थना
पत्र अब आगे चलने योग्य नहीं है। अतः
इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर मूल
दावा के संलग्न हो।